बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबालिया जबाब दिनांक 23.01.2019 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक नजरी नक्शानुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

प्रकरण हाजा में मौजा ईग्यार के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 828/61 की भूमि को यथावत एवं शेष मुतदाविया खेताय खसरा नंबर 13, 832/551 का माफिक ईकबालिया जबाब अनुसार बंट चाहा है जो पूर्ण रूपेण विभाजन नहीं है। अतः वाद पत्र में वर्णित खसरा नं. 13, 832/551 की भूमि का पूर्णरूपेण विभाजन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 08.10.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 08.10.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 30 दिनांक 03.12.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 ग्राम पंचायत अड़वड़ में प्राप्त हुआ, जिस पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय/पक्षकारान् ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी जगदेवराम ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि उपस्थित मौतबिरान बलदेव जाजड़ा, ओमप्रकाश, सेवाराम, पांचाराम भाकर, भैराराम, तारूराम तथा पटवार हल्का की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। प्रतिवादी संख्या 4 से 6 कमली, केला देवी, मैना देवी पुत्रिया लालाराम के हक बंट में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये प्रतिवादी प्रतिवादी संख्या 4 से 6 कमली, केला देवी, मैना देवी पुत्रिया लालाराम का राजहक में नियमानुसार स्टाम्प शुल्क लिया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है। अतः मौजा ईग्यार तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 13, 832/551 में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 4 से 6 को प्रतिवादी संख्या 3 के साथ सहखातेदार घोषित कर तहसीलदार जायल से प्राप्त माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा ईग्यार तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 13, 832/551 में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 4 से 6 को प्रतिवादी संख्या 3 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त 30 जरिये दिनांक 03.12.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाता है जो निर्णय का एक भाग रहेगा, तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी जगदेवराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा ईग्यार का खेत खसरा नंबर 13 में से 0.6556 हैक्टेयर उतरी भाग, खसरा नंबर 832/551 में से 0.9470 हैक्टेयर उतरी भाग नजीनक्शानुसार रखा गया है।

सहायक कलेक्टर
(उप.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

2. प्रतिवादी संख्या 1 शैतानराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा ईग्यार का खेत खसरा नंबर 828/61 रकबा 10 बीघा पूरा रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 मनीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा ईग्यार का खेत खसरा नंबर 13 में से 0.6636 हैक्टेयर दक्षिणी भाग, खसरा नंबर 832/551 में से 0.9469 दक्षिणी भाग नजीनक्शानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 3 से 6 के हक बंट में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई। **नोट– प्रतिवादी संख्या 4 से 6 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

निर्णय आज दिनांक 20/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

20/12/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner